

कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक
उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र
०६ सपू मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ।

पत्र संख्या: ५०६५ ल०क्ष०/क्ष०प्र०/ठेका/नीलामी विज्ञापित/२०१८

दिनांक १५-०५-२०१८

ई-निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र के अन्तर्गत बस स्टेशन, चारबाग में पूर्व निर्धारित स्थान पर रेवड़ी गजक स्टाल का ई-टेण्डर कराया जाना प्रस्तावित है, जिसका पूर्व मासिक किराया रू० १,८२,०००/- (रू० एक लाख बयालीस हजार मात्र) है, जिसे संचालित कराये जाने हेतु आनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।

रेवड़ी गजक स्टाल संचालित कराये जाने हेतु ई-टेण्डर के माध्यम से www.e-tender.up.nic.in पर दिनांक १७.०५.२०१८ समय १४.०० बजे से दिनांक २९.०५.२०१८ समय १८.०० बजे तक अपलोड की जायेगी। दिनांक ३०.०५.२०१८ दिन बुधवार को समय १५.०० बजे ई-निविदा खोले जाने की कार्यवाही की जायेगी। इस हेतु निविदा के साथ एक माह हेतु प्रस्तावित राशि के आधार पर एक माह के समतुल्य धनराशि का बैंक ड्राफ्ट धरोहर धनराशि के रूप में निविदा के साथ जो क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० परिवहन निगम, लखनऊ (rmupsrtc lucknow) के पक्ष में बनवाकर निविदा में अपलोड करना होगा तथा निविदा स्वीकृत होने पर निविदा की हार्ड कापी के साथ समस्त अभिलेखों सहित क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, लखनऊ में उपस्थित होकर प्राप्त कराना अनिवार्य होगा।

निविदा फार्म मूल्य रूपया २००.०० (रू० दो सौ मात्र) + जी०एस०टी० ३६.०० कुल धनराशि रू० २३६.०० जिसकी वापसी नहीं होगी का डी०डी० rmupsrtc lucknow के पक्ष में देय होगा।

निविदा की आवश्यक योग्यतायें/शर्तें

- १- जिन स्टाल संचालकों के नाम काली सूची में (परिवहन निगम की) है, वे निविदा डालने के लिये अर्ह नहीं होंगे और उनके निविदा पर विचार नहीं होगा।
- २- निविदादाता को अपना नाम, पिता का नाम, आधार/निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, जी०एस०टी० नम्बर के पंजीयन का प्रमाण पत्र व निवास स्थान का चाल-चलन का सत्यापन पुलिस अधिकारी का ०६ माह से कम अवधि का तथा अपनी फोटो (पासपोर्ट साइज) की स्वयं प्रमाणित कर निविदा पत्र की हार्ड कापी के साथ लाना अनिवार्य होगा।
- ३- रेवड़ी गजक के स्टाल हेतु निविदा पर क्षेत्रीय समिति के माध्यम से विचार किया जायेगा। टोकन मनी जमा कर खुली बोली बोलने का प्राविधान समाप्त कर दिया गया है।
- ४- जिस स्टाल व स्थान के लिये निविदा किया जा रहा है उक्त स्टाल का नाम व स्थान का नाम निविदा फार्म पर स्पष्ट रूप से समस्त सूचनाओं सहित अपलोड करना अनिवार्य है।
- ५- परिवहन निगम द्वारा निर्धारित स्थान पर ही स्टाल संचालित करना होगा, यदि किन्ही कारणों से सक्षम अधिकारी द्वारा स्टाल के संचालन का स्थान परिवर्तित किया जाता है तो परिवर्तित स्थान पर ही स्टाल संचालित करना होगा।
- ६- स्टाल की नीलामी का निस्तारण निविदा में प्राप्त उच्चतम दरों के अनुसार किया जायेगा। क्षेत्रीय समिति द्वारा दिनांक १७.०५.२०१८ से २९.०५.२०१८ तक ई-टेण्डर अपलोड कराये जाने पर प्राप्त ई-निविदा पर दिनांक ३०.०५.२०१८ को समय १५.०० बजे प्राप्त निविदायें/ई-टेण्डर खोलकर विचार करते हुये निविदा में उच्च निविदादाता को ठेका दिये जाने पर क्षेत्रीय समिति द्वारा विचार किया जायेगा।
- ७- परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ के परिपत्र संख्या: १२०१ एवं १२०२ एमए/१२-१७७एफए/०१ दिनांक ११.०५.२०१२ में दिये गये निर्देशानुपालन में पी०पी०पी० योजना के अन्तर्गत तीन वर्ष के लिये स्टाल उठाया जायेगा तथा स्टाल नियमावली २००९ में अंकित प्राविधानों के अनुसार निविदा स्वीकृत होने पर प्रतिमाह अंकित किराये पर प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशत बढ़ोत्तरी निविदादाता को स्वयं करनी होगी, का निविदादाता को पालन करना होगा।
- ८- प्रतिमाह निविदा पत्र में अंकित धनराशि पर १८ प्रतिशत जी०एस०टी०/सेवाकर नियमानुसार के साथ प्रत्येक माह की १० तारीख से पूर्व मासिक किराया अग्रिम रूप से जमा करना होगा।
- ०९- निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता को नियमानुसार आगणित धनराशि के अनुसार ०४ प्रतिशत स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा।
- १०- रेवड़ी गजक का ठेका होने पर ठेका संचालक द्वारा लगाये गये कर्मचारियों का ई०पी०एफ०/ ई०एम०आई० आदि की कटौती सम्बन्धित एक्ट के अधीन किये जाने का दायित्व ठेका संचालक का होगा। ठेका संचालक द्वारा लगाये गये कर्मचारी परिवहन निगम के नहीं माने जायेगे तथा किसी भी नबालिक को स्टालों पर कार्य में नहीं लगाये जाने का लिखित आश्वासन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
- ११- निविदा फार्म मूल्य रू० २००.०० + जी०एस०टी० जिसकी वापसी नहीं होगी का डी०डी० जो rm upsrtc lucknow के पक्ष में देय होगा तथा हार्ड कापी के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा शुल्क का ड्राफ्ट हार्ड कापी के साथ संलग्न न करने की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

- 12- निविदा के साथ एक माह हेतु प्रस्तावित राशि के आधार पर एक माह की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट धरोहर धनराशि के रूप में निविदा के साथ जो क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० परिवहन निगम, लखनऊ (rmupsrtc lucknow) के नाम बनवाकर निविदा में अपलोड करना होगा तथा निविदा स्वीकृत होने पर निविदा की हार्ड कापी के साथ समस्त अभिलेखों सहित क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, लखनऊ में उपस्थित होकर प्राप्त कराना अनिवार्य होगा।
- 13- निविदा प्रपत्र के साथ स्टाल एवं दुकानों के आवंटन हेतु जनपदीय मुख्यालय के बस स्टेशनों हेतु प्रत्येक स्टाल के लिये रू० 10,000/- तथा इससे भिन्न स्टेशनों हेतु रू० 2000/- आर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट निविदा पत्र पर अपलोड करना होगा। निविदा स्वीकृत होने पर परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ के परिपत्र संख्या: 1118रोपी/15-177एफए/01कानपुर-11 दिनांक 05.11.2015 के अनुपालन में रू० 10,000/- व 2000/- का ड्राफ्ट वापस कर दिया जायेगा।
- 14- समिति द्वारा स्वीकृत स्टाल हेतु स्टाल की उपलब्धता एवं अपयुक्तता का निर्णय सक्षम समिति का ही मान्य होगा।
- 15- उ०प्र० परिवहन निगम के बस स्टेशनों पर संचालित विभिन्न स्टालों सम्बन्धी नियमावली-2009 एवं निगम मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या: 1543एफए/02-177एफए/01-मेरठ दिनांक 25 जुलाई, 2002 के अनुसार ही स्टालों का संचालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 16- आलमबाग बस स्टेशन का नवनिर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर बस स्टेशन चारबाग का कुछ संचालन आलमबाग बस स्टेशन शिफ्ट होने के दृष्टिगत रेवडी गजक स्टाल की समय अवधि एक वर्ष निर्धारित की गयी है तथा इस विज्ञापित में चारबाग बस स्टेशन से सम्बन्धित स्टालों का संचालन केवल चारबाग बस स्टेशन हेतु ही मान्य होगा।
- 17- किसी शर्त को अंकित करते हुये निविदा प्राप्त कराये जाने पर प्राप्त निविदा को निरस्त किया जायेगा।
- 18- इच्छुक निविदाकर्ता 02 लिफाफे में अपनी बिड प्रस्तुत करेंगे। प्रथम तकनीकी व द्वितीय फाइनैन्शियल लिफाफे में से पहले लिफाफे में सभी आवश्यक अभिलेख/प्रमाण पत्र/दस्तावेजों इत्यादि की प्रतियां रखे। सभी अभिलेख एवं उपरोक्त शर्तें पूर्ण हाने पर ही द्वितीय लिफाफा (फाइनैन्शियल) खोला जायेगा अन्यथा शर्तें पूरी न करने वाले निविदाकर्ताओं की फाइनैन्शियल बिड के लिफाफे को अस्वीकार करते हुये वापस कर दिया जायेगा।


क्षेत्रीय प्रबन्धक
लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ कि नीलामी को उक्त निविदा नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करे:-

- 1- वित्त नियंत्रक, उ०प्र० परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
- 2- प्रधान प्रबन्धक(विविध/पीआईडीएम/विपणन), उ०प्र० परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
- 3- सहायक प्रबन्धक(एम०आई०एस०), वैब मास्टर, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
- 4- जन सम्पर्क अधिकारी, उ०प्र० परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
- 5- समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० परिवहन निगम।
- 6- सेवा प्रबन्धक, उ०प्र० परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र।
- 7- समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र को इस आशय से कि सम्बन्धित निविदा स्टेशनों एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये।
- 8- सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त), उ०प्र० परिवहन निगम, लखनऊ।
- 9- कोषाध्यक्ष/नोटिस बोर्ड, उ०प्र० परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र।


क्षेत्रीय प्रबन्धक
लखनऊ।

Downloaded from
www.upsrtc.com